

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पुआईसी संख्या: UPFS/2025/183079/KPD/KANPUR DEHAT/1927/CFO

दिनांक: 29-12-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO. 148 MI INDRANAGAR, KANPUR JHANSI ROAD TO LINK ROAD, PUKHRAVAN तहसील - BHOGNIPUR, प्लाट एरिया 7390.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **4197.00** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	7.20 mt.
BLOCK B	4	0	11.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **02-01-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAMENDRANATH SACHAN MOB. NO-9953690965** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रभगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओसीओ की अधिभोग क्षेत्री **Educational** के अन्तर्गत वैधता दिधि **03-01-2026** से **02-01-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अधिस्थान व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अधिस्थान व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ईज ऑफ ड्यूंग बिजनेस नीति के तहत संस्तुति निम्न प्राविधानों के अधीन की जाती है।

- 1- Occupier/owner should maintain the fire fighting systems round the clock.
- 2- Occupier/owner should maintain Electrical safety(As per Indian Electricity Act.), to prevent outbreak of the fire round the clock.
- 3- Occupier/owner should comply section 26 of the UP fire Act 2022 and UP fire service rules 2024 round the clock.
- 4- Occupier/owner should ensure fire exits to be opened during working hours, to ensure safety of children's. Otherwise this issued NOC will be deemed automatically cancelled.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र अग्नि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRATEEK SHRIVASTAVA)

[278B17DF0447E4D0635C10284A1107EB8B58E50E]

03-01-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-01-2026
स्थान : KANPUR DEHAT